the offer of liberal refinance facilities from RBI.

The annual rate of inflation has come down to 9.1% as on 7th November 1992 as against 13.83% at the beginning of this financial year.

सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

157. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिंडिकेट बैंक के अनेक प्रमुख उच्चाधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष के दौरान इस बैंक के कितने अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करायी गई है और उनके यहां बरामद वस्तुओं का नगदी सहित बयौरा क्या है;

(ग) कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है और कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं, और

(घ) सिंडिकेट बैंक में की जा रही लूट को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1.1.90 से 30 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान सिंडिकेट बैंक द्वारा जांच हेतु 41 मामले भेजे गए और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्वीकार किए गए। 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार, सिंडिकेट बैंक से संबंधित 31 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के अधीन थे। सिंडिकेट बैंक ने तीन मामलों के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की सूचना दी है:—

(1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में महा-प्रबन्धक (स्थानापन्न) के स्तर के एक अधिकारी द्वारा धारित अनुपातहीन परिसम्पित्तियों से संबंधित एक मामले की जांच की थी। उन्हें बड़े दण्ड की कार्यवाही के अंतर्गत चार्जशीट किया गया था। चूंकि वे सेवानिवृत्त होने वाले थे, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी थी।

(2) एक दूसरे मामले में, एक अधिकारी को उनकी ओर से की गई चूकों के लिए बड़ा दण्ड दिया गया था।

(3) तीसरे मामले में, बैंक की एक विदेशी शाखा के स्टाफ और शाखा के उप महाप्रबन्धक मुख्य अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गई थीं। लेकिन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, बैंक ने अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सितम्बर, 1991 को एक विस्तृत परिपत्र बैंकों के नाम जारी किया जिसमें उनसे संरचनात्मक सुदृढ़ता लाने तथा आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता तंत्र को पुनरुज्जीवित करने के लिए कहा गया था। बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों संबंधी विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप-गर्वनर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि बैंकों को संसूचना और दण्डात्मक सतर्कता की प्रभावी भूमिका सहित कुछ निवारक उपायों का पूरी तरह अनुपालन करना चाहिए। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:—

(I) विद्यमान संगठनात्मक व्यवस्था और प्रक्रिया की विस्तृत जांच ताकि उन तत्वों को समाप्त या कम से कम किया जा सके जिनके कारण भ्रष्टाचार और कदाचार को पनपने का मौका मिलता है।

(II) नियमित जांचों की योजना तैयार करना और उन्हें लागू करना, ऐसी चूक का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांच जिनसे भ्रष्टाचार और कदाचार के होने का पता चले।

(III) संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों तथा उन अधिकारियों की उचित निगरानी जो "सम्पति सूची" (एग्री लिस्ट) में हैं और परिसम्पत्तियों और देनदारियों, उपहारों, गैर-सरकारी फर्मों में नियोजित या निजी व्यवसाय में लगे सम्बन्धियों का विवरण प्राप्त करके आचरण संहिता को शीघ्रता से लागू करना तथा बेनामी लेनदेनों का पता लगाना।